राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1548/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
लक्ष्मण दास फुलवानी 1/18, आवासन मण्डल कॉलोनी, नसीराबाद, Ajmer,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक जन स्वास्थ्य निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, तिलकमार्ग Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से डॉ. आशा उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27-07-2017 के द्वारा किसी कर्मचारी/ अधिकारी कार्यालय से रिलिव कर दिया जाता है। न्यायालय उसका स्थगन आदेश देता है ऐसे मामले में स्थगन आदेश अवधि का निर्धारण करने के संबंध में नियमों की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 11-09-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 16-08-2017 एवं 16-03-2018 से प्रेषित की जा चुकी है। प्रथम अपील पेश होने पर दिनांक 11-09-2017 को खारिज की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 26-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 16-08-2017 एवं 16-03-2018 की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त